जो वादग्रस्त आराजी में खसरा संख्या 2 में लाठी के बलपर सायला की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चुंकि वादग्रस्त आराजी में सायला ही खातेदार है, अतः वादग्रस्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दखल अंदाजी करना विधि विरूद्ध है। अतः सायला अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रही है। यह बिंदू सायला के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का संतुलनः– प्रथम दृष्टया मामला गैरसायल के विरूद्ध साबित हुआ है। साथ ही वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक खातेदार का अपने हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है एवं किसी भी बाहरी व्यक्ति का वादग्रस्त आराजी में खातेदारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना विधि विरूद्ध है। अतः सायला के हक तक वादग्रस्त आराजी में सुविधा का संतुलन सायला के पक्ष में ही निहित होना साबित होता है।

3. अपूरणीय क्षतिः– प्रथम दोनों बिंदू सायला के पक्ष साबित हुए है। हस्तगत प्रकरण में सायला एकमात्र अभिलिखित खातेदार है व गैरसायल सायला की भूमि पर कब्जा करने हेतु लाठी के बल पर लडाई झगडा करता आ रहा है। यदि गैरसायल अपने मंसूबो में कामयाब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सायला को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अतः अपूरणीय क्षति का बिंदू सायला के पक्ष में साबित होता हो।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण सायला/वादिया के पक्ष में बखूबी साबित होने स्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र सायला अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा चावण्डिया भू–अभिलेख क्षेत्र आगेवा तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 2 रकबा 1.0765 हेक्टयर किस्म बारानी अव्वल में सायला की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि में दखल अंदाजी नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फारेस्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 14.01.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फारेस्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)